


अपील सूचना का अधिकार संख्या 147/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री  
भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना  
अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

19-01-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज  
लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित  
नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल  
ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र संख्या 5168 दिनांक  
07.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी  
(एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:-



उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर कार्यालय जिला निर्वाचन  
अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक 23197 दिनांक 13.08.15 में अंकित एवं  
एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के पत्रांक 521 दिनांक  
10.08.15 की पालना में

1- श्री मलकियत सिंह सैनी सचिव नगर परिषद श्रीगंगानगर एवं बी.  
एल.ओ. श्री सुभाषचन्द के विरुद्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित की  
गयी कार्यवाही की सूचना एवं प्रमाणित प्रतिलिपि

2- श्री मलकियत सिंह सैनी एवं सुभाष गोयल के विरुद्ध मतदाता पर्ची  
वितरण लोक सभा चुनाव 2014 में न करने के अपराध अभियोजन की  
स्वीकृति जारी करने बाबत की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही  
की प्रमाणित प्रतिलिपि

3- पत्र उपरोक्त पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का  
नाम व पद की सूचना

4- श्री मलकियत सिंह व बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा जन  
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व 195 की धारा 136 व  
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 दण्डनीय अपराधउ कारित करने के  
उपरान्त उस नियम की सूचना जिस नियम के अन्तर्गत उपरोक्त दोनों  
के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ करने की कार्यवाही करने में विधिक  
समावर है इस संबंध में सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी  
है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त 4 बिन्दुओं की सूचना लोक सूचना अधिकारी,  
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई  
गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार  
अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध 25000रुपये हर्जाना लगाया  
लगाया जावे व उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

जिला कलैक्टर  
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं० 1878 दिनांक 02.11.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1791 दिनांक 28.09.2015 के द्वारा पंजिकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी अतः अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने पत्र सं० 1791 दिनांक 28.09.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:-


बिन्दु संख्या 1 से 4 तक की सूचना अन्वेषण कर, ढूँढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज० सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 "च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः बिन्दु संख्या 1 से 4 के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 28.09.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनाओं को देखते हुए न्याय हित में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( पी.सी.किशन )  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

147  
15  
AB  
3